

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट,
(पीठासीन अधिकारी-अमनदीपसिंह छाबडा)**

आप.प्रकरण.क्र.-1002 / 2012

संस्थित दिनांक-07.12.2012

फाईलिंग क्र.234503001292012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

सुखदेव सिंह पिता श्री रमलसिंह जाति-गोंड,
उम्र-28 वर्ष, निवासी भीमडोंगरी, थाना मोतीनाला
जिला-मण्डला (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 23.10.2017 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338(दो बार) के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उसने दिनांक 18.10.12 को करीब 04:00 बजे ग्राम किडगीटोला (पाण्डुतला) थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कमांडर क्रमांक सी.जी.07/जेड.डी.1674 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन को पलटाकर आहतगण सरोजनी बाई, सम्मोबाई को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया तथा मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196 के अंतर्गत उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चालन किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमती सरोजनीबाई ने दिनांक 22.10.12 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 18.10.12 को ग्राम पाण्डुतला से कमांडर सी.जी.07/जेड डी 1674 में 5-6 लोग बैठकर बिछियाँ जा रहे थे, तभी रास्ते में ग्राम किडगीटोला के पास सामने से एक मोटर सायकिल आ रही थी। ड्रायवर कमांडर गाडी को तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये खतरनाक तरीके से बांये साईड द्वारा जिससे कमांडर रोड़ किनारे नाली में घुस गई व कमांडर से दो महिला छिटक कर जमीन पर गिरने से उन्हें चोट आई। उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। प्रार्थीया सरोजनीबाई एवं घायल सम्मोबाई का डॉक्टरी मुलाहिजा तथा एक्स-रे कराये जाने पर फ्रेक्चर पाये जाने से धारा-338 भा.द.वि. बढ़ाई गई। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपी सुखदेव पन्दे को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपी से वाहन के कागजात जप्त किये गये तथा बीमा नहीं होने से धारा-146/196 मो.व्ही.एक्ट का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 63/12 दिनांक 28.11.12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338(दो बार) एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1-क्या आरोपी ने दिनांक-18.10.12 को करीब 04:00 बजे ग्राम किडगीटोला (पाण्डुतला) थाना गद्दी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कमांडर कमांक सी.जी. 07/जेड.डी. 1674 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से चलाते हुए वाहन को पलटा कर आहतगण सरोजनी बाई, सम्मोबाई को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

3-क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चालन किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02

नोट- सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05- साक्षी सरोजनी बाई अ.सा.03 का कहना है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के करीब 4:00 बजे किडगीटोला की है। घटना दिनांक को वह कमांडर वाहन में बैठकर टिकरिया से किशनाला जा रहे थे। वाहन को आरोपी सुखदेव चला रहा था। घटना दिनांक को आरोपी ने वाहन को तेजी से चलाकर रोड़ के साईड नाली में कूदा दिया था, जिससे वह वाहन से गिर गई थी, और मस्तिष्क एवं दाहिने हाथ में चोट लगी थी। उक्त दुर्घटना आरोपी सुखदेव सिंह की गलती से हुई थी। उक्त कमांडर वाहन में उसके अलावा 8-10 लोग और बैठे थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी वाहन को धीमी गति से चला रहा था, वह यह नहीं बता सकती की वाहन चालक ने वाहन के सामने बच्ची आ जाने के कारण उसे बचाने के लिए वाहन को रोड़ के साईड में कर दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि जब आरोपी के द्वारा सामने आई बच्ची को बचाने के लिए गाड़ी को रोड़ के साईड में किया तो अचानक वह वाहन से गिर गई, उसे गिरने के कारण चोट लगी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वाहन चालक की गलती से वह नहीं गिरी थी, किन्तु यह स्वीकार

किया है कि पुलिस ने उससे कोई बयान नहीं लिये थे। यदि प्रकरण में उसके बयान है, तो वह गलत है, उसने अपने कथन में आरोपी का नाम पुलिस को नहीं बताया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वह आज दूसरे के कहने पर बयान दे रही है तथा आरोपी को झूठा फंसाने के लिए झूठा बयान दे रही है।

06— साक्षी सम्मोबाई (अ0सा0-08) का कहना है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो साल पूर्व दीवाली के समय ग्राम पाण्डुतला के पास की है। वह घटना के समय पाण्डुतला बाजार गई थी, बाजार से कमाण्डर गाड़ी में बैठकर वापस अपने गांव जा रही थी। पाण्डुतला के पास उनकी गाड़ी पलट गई थी, जिससे उसे बाये हाथ में चोटें आयी थी। गाड़ी सुखदेव की थी। जिसके बाद उसने अपना ईलाज बिछिया अस्पताल में कराया था। गाड़ी के ड्राईवर ने ईलाज कराउंगा बोला और उन लोगों को बिना ईलाज कराये छोड़कर चला गया। गाड़ी में अन्य लोग भी थे उन्हें भी चोटें आयी थी। घटना कमाण्डर चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है, घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकती, आरोपी दुर्घटना के समय सामान्य गति से चला रहा था, सामने से मोटरसायकिल वाला आ रहा था, जिसे बचाने के लिये आरोपी ने अपने वाहन को काटा था, उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने मोटरसायकिल को बचाने के लिये अपने वाहन को काटा था।

07— साक्षी कमलसिंह (अ0सा0-09) का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पूर्व ग्राम किड़गीटोला की है। वह लोग पाण्डुतला बाजार गये थे। पाण्डुतला से वह अपनी पत्नि के साथ कमाण्डर में बैठकर सिझौरा आ रहा था, तभी किड़गीटोला के पास सामने से आ रही बाईक को बचाते हुये उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गयी। घटना में उसे और उसकी पत्नि को हल्की चोटें आयी थी। घटना में एक अन्य महिला को गंभीर चोटें आयी थी। घटना के बाद वाहन चालक ने उन लोगों को सिझौरा में प्रायवेट अस्पताल में ले गया, परन्तु उनका बिना ईलाज कराये चला गया। घटना कमाण्डर चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह लोग पाण्डुतला के बाजार से वापस हो रहे थे, वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि वह पीछे बैठा हुआ था तथा आरोपी ने मोटरसायकिल वाले को बचाने के लिए वाहन को काटा था।

08— साक्षी अनुसुईया बाई (अ0सा0-10) का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना काफी पुरानी ग्राम किड़गीटोला की है। वह लोग कमाण्डर में बैठकर अपने गांव सिझौरा जा रहे थे। किड़गीटोला के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे गाड़ी में बैठे कुछ लोग छिटककर गिर गये। घटना में उसे पीठ पर हल्की चोटें आई थी। घटना में एक अन्य महिला

को हाथ में गंभीर चोटें आयी थी। घटना के बाद वाहन चालक ने उन लोगों को सिझोरा में प्रायवेट अस्पताल में ले गया, परन्तु उनका बिना ईलाज कराये चला गया। घटना कमाण्डर चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह लोग पाण्डुतला के बाजार से वापस हो रहे थे, वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि वह पीछे बैठी थी तथा आरोपी ने मोटरसायकिल वाले को बचाने के लिए वाहन को काटा था।

09— साक्षी भागवानी (अ0सा0-11) का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना काफी पुरानी ग्राम किरगीटोला की है। घटना के समय वह लोग पाण्डुतला से कमाण्डर में बैठकर ग्राम बिछिया जा रहे थे। किरगीटोला के पास आरोपी चालक ने कमाण्डर को तेज गति से चलाकर नाले में पलटा दिया, जिससे कुछ लोगों को चोटें आयी थी। घटना में उसकी पत्नि सरोजनीबाई का सिर व हाथ पर चोट आई थी। उसे कोई चोट नहीं आयी थी। घटना के बाद वाहन चालक ने उन लोगों को बिछिया में प्रायवेट अस्पताल में ईलाज कराने ले गया परन्तु उनका बिना ईलाज कराये वहां से भाग गया था। फिर वह अपनी पत्नि के साथ थाना रिपोर्ट कराने आया था। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौकानक्शा प्रपी-05 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना आरोपी चालक सुखदेव की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने गाड़ी को तेज गति से चलाकर वाहन को अनियंत्रित कर पलटा दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि सामने से मोटरसायकिल आ रही थी, जिसे बचाने के लिए आरोपी ने गाड़ी को साईड में किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि गाड़ी सामान्य गति से चल रही थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्रपी0-5 मौका-नक्शा की कार्यवाही के समय मौका-नक्शा कोरा था और उस पर पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर किया था, वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से घटित हुई तथा साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी ने मोटरसायकिल को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को साईड में किया था।

10— साक्षी उर्मिला अ.सा.04 का कहना है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह पाण्डुतला से कमाण्डर वाहन में बैठकर ग्राम सिझोरा जा रही थी। उसके साथ उसके छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे। उक्त कमाण्डर वाहन में उसके अलावा भी अन्य आठ लोग बैठे हुए थे, तभी किङगीटोला के पास कमाण्डर वाहन रोड़ के साईड में उतर गई थी। कमाण्डर वाहन को न्यायालय में उपस्थित आरोपी चला रहा था। किसकी गलती से कमाण्डर वाहन नीचे उतरा था, वह नहीं बता सकती। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछ जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी

ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर बांये साईड की नाली में उतार दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि रोड़ पर पर्याप्त स्थान था, उक्त कमाण्डर वाहन के अलावा अन्य रोड़ पर चलने वाले वाहन नाली में नहीं उतरे थे, अन्य वाहन रोड़ के साईड नाली में इसलिए नहीं उतरे थे, क्योंकि उसके चालक सावधानीपूर्वक वाहन चला रहे थे, न्यायालय में उपस्थित आरोपी यदि वाहन को सावधानी से चलाता तो वाहन रोड़ के साईड में नाली में नहीं उतरता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि गाड़ी के नाली में चले जाने के कारण दो महिला नाली में छिटक गई थी। साक्षी ने कथन किया है कि वह बेहोश हो गयी थी, इसलिए वह नहीं बता सकती। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि यदि वाहन रोड़ पर पर्याप्त जगह होने के बाद भी रोड़ के साईड नाली में उतर जाता है, तो उसमें चालक की गलती होती है, उसने पुलिस को प्रपी-4 के कथन में आरोपी के लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की बात बताई थी, वह आरोपी से मिल गई है, इसलिए उसकी लापरवाही वाली बात को छूपा रही है, पुलिस को उसके बताने पर ही ज्ञात हुआ था कि वह पाण्डुतला से सिजोरा कमाण्डर वाहन में बैठकर अपने दो बच्चों के साथ जा रही थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना में उसके बच्चों को कोई चोट नहीं आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। वह यह नहीं बता सकती कि घटना किसकी गलती से हुई थी। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को वाहन का नंबर नहीं बताई थी। गाड़ी सामान्य गति से चल रही थी। वाहन कौन चला रहा था, वह देख नहीं पाई थी। उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी।

11— साक्षी भक्तूसिंह अ.सा.02 का कहना है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना के समय वाहन को आरोपी चला रहा था। आहत सरोजनीबाई को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी दिन के समय की है। घटना के समय वह किड़गीटोला में था, तभी एक कमाण्डर रोड़ के साईड नाली में घूस गयी थी। उक्त कमाण्डर 5-6 लोग बैठे थे, जिसमें से एक महिला रोड़ पर गिर गई थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था। उक्त दुर्घटना वाहन चालक आरोपी की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल से सौ कदम की दूरी पर था, वह यह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी। साक्षी के कथन अनुसार गाड़ी रोड़ के साईड में नाली में घूस गई थी। वह यह नहीं बता सकता कि वाहन चालक आरोपी ने बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी को रोड़ के किनारे लेकर गया था। वह नहीं बता सकता कि कमाण्डर वाहन में गेट न होने के कारण यदि व्यक्ति ठीक से न बैठे तो स्वयं की गलती से गिर सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस बयान देते समय वाहन का नम्बर नहीं बताया था, किन्तु यह अस्वीकार किया उसने घटना के समय वाहन चालक को नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने

अपने पुलिस कथन में चालक का नाम लिखा होगा तो वह गलत है, पुलिस ने उसे उसका बयान पढ़कर नहीं बताया थे। साक्षी के कथन अनुसार पुलिस ने उससे पूछा था।

12— साक्षी शरद कुमार (अ0सा0-12) का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब चार साल पूर्व दिन के समय ग्राम किडगीटोला की है। घटना के समय पाण्डुतला से आ रही कमाण्डर अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और नाली में गिर गई थी, जिसमें उसमें सवार लोगों को चोटें आई थी। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी। वह वाहन चालक का नाम तथा नंबर नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दूर से दुर्घटना देखी थी, वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी तथा उसने पुलिस को गाड़ी का नंबर तथा आरोपी का नाम नहीं बताया था।

13— साक्षी अरविंद दास (अ0सा0-13) का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 18.10.2012 को वह पाण्डुतला से शर्मा ढाबा जा रहा था, तभी किडगीटोला के पास पाण्डुतला से आ रही कमाण्डर सीजी.07जेड डी.674 के चालक ने गाड़ी को तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर बांये साइड में काटा, जिससे उसमें सवार दो व्यक्ति छिटककर जमीन में गिर गये, जिन्हें चोट आई थी। यह कहना गलत है कि कमाण्डर को आरोपी वाहन चालक सुखदेव सिंह निवासी मोतीनाला चला रहा था तथा कमाण्डर ग्राम मुरेण्डा की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी09 पुलिस को देने से इंकार किया। यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

14— साक्षी डॉ.एन.एस. कुमरे अ.सा.01 का कहना है कि वह दिनांक 22.10.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक कमलेश क्रमांक 359 थाना गढ़ी द्वारा आहत श्रीमती सरोजनीबाई को लाये जाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें उसने आहत के शरीर पर तीन पुरानी चोट होना पाया। आहत के बांये आई ब्रो पर एक पुरानी चोट, जिसमें टांके लगे हुये थे। आहत के बांये एल्बो ज्वाइंट पर एक सुजन होना पाया तथा आहत के दांये हाथ पर पीछे की तरफ होना पाया। आहत द्वारा उसे बताया गया था कि दिनांक 18.10.2012 को एक्सीडेंट हुआ था तथा बिछिया प्राइवेट अस्पताल में उसके द्वारा ईलाज लिया गया था। उसके मतानुसार आहत सरोजनीबाई को कोई नई चोट नहीं पाया था। चोट क्रमांक 1 व 2 के लिये उसके द्वारा एक्सरे एवं उचित ईलाज की

सलाह दी गई थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त आहत के सिर एवं बांये कोहनी का एक्स-रे कराया गया था, जिसकी एक्स-रे प्लेट क्रमांक 605ए एवं बी है, जो आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 है, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के सिर पर कोई अस्थि भंग होना नहीं पाया था। दूसरे एक्स-रे में आहत के बांये कोहनी में अस्थि भंग होना पाया था। उक्त एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15— साक्षी डॉ.एन.एस. कुमरे अ.सा.01 के अनुसार दिनांक 27.10.2012 को उसी आरक्षक द्वारा आहत समोबाई को परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाये जाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें आहत के बांये हाथ पर एक पुरानी चोट पाया था, जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था। आहत के शरीर पर अन्य चोटें पायी गई थी, जो कि बांये हाथ, पीछे की तरफ पीठ पर तथा सोल्डर ज्वाइंट पर थी। आहत द्वारा उसे बताया गया था कि दिनांक 18.10.12 को एक्सीडेंट हुआ था तथा बिछिया प्राइवेट अस्पताल में उसके द्वारा ईलाज लिया गया था। उसके मतानुसार आहत श्रीमती समोबाई को कोई नया घाव होना नहीं था। उसने बांये हाथ की पुरानी चोट के लिये एक्स-रे की सलाह दी थी तथा आगे जांच हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ बालाघाट की ओर रिफर किया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दोनों आहत को आयी चोटें पुरानी थी और उसके परीक्षण के पहले की थी, आहतगण के शरीर पर कोई नई चोट नहीं थी, आहतगण को आयी चोटें पुरानी होने के कारण वह किस वस्तु से आयी थी, वह नहीं बता सकता।

16— साक्षी गुलशन यादव अ.सा.05 का कहना है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता हैं। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह घर पर था, बाद में पता चलने पर वह घटनास्थल पर गया था। उसे दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी कि जानकारी नहीं लगी थी और वाहन रोड़ के साईड में खड़ा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि गाड़ी रोड़ किनारे नाली में उतर गई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि नाली में उतरने के कारण दुर्घटना हुई थी और लोगो को चोट लगी थी, दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही से होने वाली बात उसे पता चली थी, न्यायालय में हाजिर आरोपी ही उक्त कमाण्डर वाहन का चालक था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड़ पर्याप्त थी, वाहन को यदि सावधानीपूर्वक चलाया जाता तो वह नाली में नहीं उतरता, किन्तु यह अस्वीकार किया आरोपी की लापरवाही से वाहन नाली में उतरा था, पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रपी-5 बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रपी-5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया

है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। यह स्वीकार किया है कि उसे पुलिस ने बयान पढ़कर नहीं सुनाई थी। यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को वाहन का नंबर नहीं बताया था, यदि पुलिस ने लिख लिया हो तो वह कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि पुलिस घटना दिनांक के तीन-चार दिन बाई आई थी, तब तक वाहन को हटा लिया गया था।

17— साक्षी डी0के0 राउत (अ0सा0-06) का कहना है कि वह दिनांक 26.11.12 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 30.10.12 को एक्स-रे टेक्नेशियन ए0के0 सैन ने आहत सम्मोबाई के दाहिने हाथ एवं कलाई के जोड़ का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 4448 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। उपरोक्त एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने हाथ की रेडियस हड्डी के निचले भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त एक्स-रे प्लेट आर्टिकल ए-1 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जमीन पर हाथ के बल बलपूर्वक गिरने से भी उक्त प्रकार की चोट आ सकती है।

18— साक्षी खेमराज (अ0सा0-07) का कहना है कि वह दिनांक 22.10.2012 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी से अपराध कायमी पश्चात् अग्रिम विवेचना हेतु डायरी प्राप्त हुई थी। डायरी का अवलोकन कर उक्त दिनांक को ही घटनास्थल जाकर गवाह भगवानी एवं गुलशन कुमार के समक्ष मौका नक्शा तैयार किया था जो प्रपी-05 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गवाह भगवानी मरावी, भक्तसिंह, गुलशन के बयान एवं दिनांक 26.10.2012 को गवाह उर्मिलाबाई, कमलसिंह, अनुसुईया बाई एवं दिनांक 27.10.2012 को सम्मूबाई एवं दिनांक 01.11.2012 को शरद कार्तिके, अर्जुनदास एवं 14.11.2012 को धर्मेन्द्र कुमार परते, पंडितलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 14.11.2012 को आरोपी सुखदेवसिंह से घटना में प्रयुक्त कमाण्डर क. सीजी07जेड-1674 एवं ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन को गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जो प्रपी-07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुखदेवसिंह को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया था जो गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उक्त वाहन का परीक्षण दिनांक 20.11.2012 को गंगासिंह ठाकुर से कराया था। विवेचना के दौरान आहत सरोजनीबाई की एक्सरे रिपोर्ट आने पर धारा- 338 भा0द0सं0 का ईजाफा किया था। संपूर्ण विवेचना उपरान्त प्रतिवेदन थाना प्रभारी को पेश कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अस्वीकार किया है कि गवाह गुलशन द्वारा यह कहा गया कि पुलिस ने उससे कोई बयान नहीं लिया था, यदि लेख किया हो तो उसका वह कारण नहीं बता सकता, गवाह गुलशन ने प्रपी0-5 पर कोरे होने पर

हस्ताक्षर कर दिया था, उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर उसने गवाहों को थाने में ही बुलाकर ले लिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि मैकेनिकल परीक्षण गंगासिंह ठाकुर से कराया गया था, जो उनके थाने पर ही शासकीय-अर्द्धशासकीय वाहन चलाता है, जप्ती पत्रक प्रपी0-7 की कार्यवाही उसके द्वारा आरोपी को थाना बुलाकर उसके द्वारा पेश करने पर की गई थी तथा घटनास्थल पर वाहन नहीं मिला था।

19— प्रकरण में आरोपी द्वारा वाहन चालन तथा आहतगण की चोटों के संबंध में अखण्डनीय साक्ष्य है तथा अधिकांश साक्षियों द्वारा वाहन का सड़क से उतरकर नाली में गिरना व्यक्त किया गया है। घटना की आहत सरोजनी अ.सा.03 द्वारा बच्ची को बचाने के लिए वाहन का साईड में किया जाना व्यक्त किया गया है, जबकि अन्य आहत सम्मोबाई अ.सा.08 तथा वाहन में सवार साक्षीगण कमलसिंह अ.सा.09, अनुसुईयाबाई अ.सा.10 तथा भागवानी अ.सा.11 ने मोटर सायकिल चालक को बचाने के लिए वाहन को साईड में करना व्यक्त किया है। मौका-नक्शा प्र.पी.05 से घटनास्थल राष्ट्रीय राजमार्ग होकर पर्याप्त चौड़ाई वाली सड़क दर्शित है। किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा अत्यधिक तेजगति से वाहन चालन के कथन नहीं किये हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अन्य मार्ग की अपेक्षा कुछ अधिक गति को सामान्य गति कहा जा सकता है। अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षा के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा अधिकांश अभियोजन साक्षीगण ने घटना में अभियुक्त की गलती न होना व्यक्त किया है। घटना के समय वाहन में सवारी होना दर्शित है, परंतु ओवरलोडिंग के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। सवारी से भरे वाहन चालक से वाहन चालन में सावधानी की अपेक्षा रहती है, परंतु किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मात्र दुर्घटना के आधार पर अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षा के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वाहन पर सवार साक्षीगण ने भी ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि घटना वास्तव में किसी दुर्घटना का परिणाम हो सकती है, क्योंकि अभियोजन साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के उक्त सुझाव को स्वीकार किया है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय आरोपी द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन को पलटाकर आहतगण सरोजनी बाई, सम्मोबाई को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

विचारणीय बिन्दु कमांक 03 का निष्कर्ष :-

20— पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी सुखदेव वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना बीमा के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चालन किया।

21— अतः अभियुक्त सुखदेव को भा.दं०सं० की धारा-279, 338(दो बार) एवं 146/196 मो.व्ही. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक सी.जी.07/जेड.डी. 1674 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

24. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 19.11.2013 से दिनांक 29.11.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही/—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)